राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.–30/2018

जीसीएमएस नम्बर – 2016/00424

1. सन्तरा पत्नी धीसाराम जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना।
2. ओमप्रकाश
3. राजकुमार
4. संजय
5. अशोक
6. वेदप्रकाश

} पुत्रान धीसाराम जाति अहीर निवासी सोहली तहसील बुहाना।

.... आवेदकगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र भगवाना
2. प्रभातीलाल पुत्र भगवाना
3. शांति पुत्री भगवाना

} जाति ब्राहमण निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना।

4. कान्ता देवी पत्नी बलवान जाति ब्राहमण निवासी ढाणी भालोठ तह.बुहाना।
5. बुद्विधर
6. लक्ष्मीचंद
7. बजरंगलाल

} पुत्रान बलवान जाति ब्राहमण निवासी ढाणी भालोठ तह.बुहाना।

8. रामचंद्र
9. सोमदत्त

} पुत्रान सुरजमल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी भालोठ तह.बुहाना।

10. सजना पत्नी नन्दलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी भालोठ तह.बुहाना।
11. विश्वनाथ
12. रामनिवास

} पुत्रान नन्दलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी भालोठ तह.बुहाना।

13. राजस्थान ग्रामीण बैंक ढाणी भालोठ जरिए शाखा प्रबन्धक ढाणी भालोठ, तहसील बुहाना, झुन्झुनूं
14. बीआरकेजीबी शाखा ढाणी भालोठ जरिए शाखा प्रबन्धक तहसील बुहाना, झुन्झुनूं राज
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, झुन्झुनूं (राज.)

.........अनावेदकगण

अधिवक्ता उपस्थित–

1. आवेदकगण की ओर से– श्री विकास शर्मा एडवोकेट
2. अनावेदकगण की ओर से– श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

आवेदन पत्र – अन्तर्गत धारा 251 (क)राज. काश्तकारी अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः–17.11.2021

(1). प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि–

1. यह है कि ग्राम सोहली स्थित खसरा नम्बर 512 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 513 रकबा 2.80 है. का आवेदकगण खातेदार काश्तकार है। अपनी भूमि पर कास्त करते है। सिंचाई हेतु कुआं बनाकर विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा अपने मकानात बनाकर रहता है।
2. यह है कि आवेदकगण की भूमि के दक्षिण दिशा में ढाणी भालोठ की सरहद पर खसरा नम्बर 67 रकबा 1.92 है., खसरा नम्बर 123 रकबा 2.79 है., खसरा नम्बर 168 रकबा 0.65 है., खसरा नम्बर 174 रकबा 1.79 है., खसरा नम्बर 306 रकबा 0.58 है., खसरा नम्बर 307/2 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 1.16 है., खसरा नम्बर 316 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 317 रकबा 3.23 है., खसरा नम्बर 476 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 530 रकबा 0.98 है. स्थित है जो कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 7 दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 67 से सटती हुई उत्तर से दक्षिण में सड़क स्थित है जो बुहाना से महेन्द्रगढ जाती है।
3. यह कि अनावेदकगण ने दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 68 स्थित है जिससे सटती हुई सडके बुहाना से महेन्द्रगढ को जाती है।
4. यह कि आवेदकगण ने दक्षिण की भूमि खसरा नम्बर 512, 513 दक्षिण दिशा में ढाणी भालोठ की सरहद पर खसरा नम्बर 67 व खसरा नम्बर 67 दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 68 की मेड के सहारे–सहारे अपनी भूमि खसरा नम्बर 512, 513 में बुहाना से महेन्छगढ जाने वाली सड़क से अपनी भूमि में चले जाते है उसके अलावा अन्य कोई रास्ता आवेदकगण के पास नही है।
5. यह कि आवेदकगण अपने खेत में निवास करते है आवेदकगण के पास अन्य कोई रास्ता नही है आवेदकगण इसी रास्ते से आते जाते है लेकिन उक्त रास्ता रिकार्ड में कटा नही है इसलिए अनावेदकगण ने उक्त रास्ता रोके दिया। खसरा नम्बर 67 व खसरा नम्बर 67 से दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 68 के सहारे–सहारे 12 फीट चौडा रास्ता में आवेदकगण के आवागमन में आधा कारित करना शुरू कर दिया जिसका उनको कोई अधिकार नही है। अनावेदकगण के बाधा कारित करने से आवेदकगण का रास्ता बन्द हो गया। इसलिए आवेदकगण को उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआं है। रास्ते का नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ सलंग्न है जो आवेदन पत्र का भाग रहेगा।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि –

(क).कि आवेदक की भूमि ग्राम सोहली के खसरा नम्बर 512, 513 के लिए अनावेकगण की भूमि खसरा नम्बर 67 की पूर्वी मेंढ के सहारे –सहारे 12 फुट रास्ता दक्षिण दिशा में स्थित महेन्द्रगढ से बुहाना वाली सड़क से होकर आकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:11 IST
Reason: SelfAttested

(2). प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। वादीगण की ओर से श्री विकास कुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल की गयी। अप्रार्थी सं. 1,2, 4 की ओर से श्री मुकेश चौधरीएडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

अनावेदक सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया—वाके ग्राम सोहली केखसरा नम्बर 512,513 में आवेदकगण की खातेदार भूमि है। जिसमें कुआं भी है। उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में ढाणी भालोठ की सरहद पर खसरा नम्बर 67 रकबा 1.92 है., खसरा नम्बर 123 रकबा 2.79 है., खसरा नम्बर 168 रकबा 0.65 है., खसरा नम्बर 174 रकबा 1.79 है., खसरा नम्बर 306 रकबा 0.58 है., खसरा नम्बर 307/2 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 1.16 है., खसरा नम्बर 316 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 317 रकबा 3.23 है., खसरा नम्बर 476 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 530 रकबा 0.98 है. स्थित है जो कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 7 दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 67 के दक्षिण में सड़क होना स्वीकार है लेकिन उक्त सड़क से आवेदकगण की भूमि करीब 600–700 मीटर दूरी पर है जबकि आवेदकगण के पश्चिम में खसरा नम्बर 508 के दक्षिण पूर्वी कोने पर रास्ता मौजूद है जो ग्राम सोहली से परिवादी की भूमि तक कायम है जिसका न्यायालय न्यायाधीश महोदय ने दिनांक 23.0.2008 को कायम किया है। आवेदकगण की भूमि तक आने जाने के लिए रास्ता मौजूद है जो आवेदकगण की भूमि के दक्षिण पूर्वी कौने के पास खसरा नम्बर 508 में से होते हुए आम रास्ता जो ग्राम सोहली को जाता है उसमें आवेदकगण आवागमन करते ह। आवेदकगण ने इससे पूर्व में भी एक वाद रास्ते बाबत न्यायालय सिविल न्याधीश (क, ख) खेतड़ी के समक्ष सन् 1999 में पेश किया था जिसका बुउनवानी ओमप्रकाश आदि बनाम भीखराम आदि के नाम से विचाराधीन किया गया। जिसके मुकदमा नम्बर 87/99 है जो दिनांक 23.05.2000 को आवेदकगण के हक में डिक्री हो चुका है। इसकी डिक्री के विरूद्व प्रतिवादीगण ने अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश खेतडी में अपील प्रस्तुत की थी जिसका दिनांक 15.05.2012 को खारीज हो चुकी है। न्यायालय सिविलि न्यायाधीश खेतडी की पालना भी कोर्ट ने इजराय द्वारा करवाई गई । उक्त आदेश से न्यायालय सिविल न्यायाधीश ने आवेदकगण के खेत तक 18 फीट चौडा रास्ता कायम किया है। रास्ते में जिसभी प्रतिवादी ने अवरोध पैछा किया उसको पाबंद किये जाने के आदेश की पालना के अनुसार रास्ता खुलवाया गया है। उक्त आवेदन पत्र में आवेदकगण ने यह तथ्य दर्ज किये है कि ग्राम सोहली से एक रास्ता आवेदकगण की भूमि तक जाता है जो राजस्व रिकार्ड में कटा हुआं है। प्रतिवादी ने अवरोध कर दिया है जिसको खुलवाया लजावे। आवेदकगण ने अपने उक्त वाद पत्र में यह भी कथन किया है कि प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है यह रास्ता आवेकगण की भूमि की भूमि व मकान कुए पर आने जाने के लिए सबसे नजदीक है। जो राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है। आवेदकगण ग्राम सोहली के निवासी है। उसी गांव में उसने के पुराने मकानात बने हुए है। उसी कटानी रास्त से आवागमन करते है। अतः जबाव आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज किया जावे।

(3). तहसीलदार बुहाना से मौका जांच रिपोर्टचाही गई।तहसीलदार बुहाना की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 06.01.2021 रही [illegible] भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 1.92 है. पर मौके पर पहुंच कर मौका जांच की [illegible]

1. वादीगण ग्राम सोहली [illegible] के खातेदार कृषक है इसी खसरा नम्बरान में [illegible] करीब 40 वर्ष से रह रहे है। तथा ग्राम सोहली की सीमा में [illegible] कटानी आवागमन का रास्ता मौजुद नही है।
2. ग्राम सोहली की सीमा में रास्ता लिया जाना सम्भव नही है तथा दूरी करीब 380 मी. से अधिक है रिकार्ड नक्शा ग्राम सोहली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

3. ग्राम ढाणी भालोठ स्थित भूमि खसरा नम्बर 67 रकबा 1.92 है. का खेत आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 512, 513 से दक्षिण में सटकर स्थित है तथा खसरा नम्बर 67 के दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे सड़क भालोठ से दुलोठ को गुजरती है।
4. खसरा नम्बर 67 की पूर्वी सीमा के सहारे –सहारे 138 मी. की लम्बाई में 4 मी0 चौडझई का रास्ता आवेदकगण को दिया जाना वांछित है जिसके लिये अनावेदकगण सहमत नही है।

(4). प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में सुसंगत खसरा नम्बरान की नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75, नजरी नक्शा, नक्शा किस्तवार ग्राम सोहली, जमाबंदी सं. 2072–75, जमाबंदी सं. 2072–75, नक्शा किस्तवार ग्राम ढाणी भालोठ पेश किए गए।

(5). अनावेदकगण ने अपने साक्ष्य दस्तावेज में नक्शा किस्तवार ग्राम सोहली, माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश खेतडी के मुकदमा नम्बर 17/2008 बउनवानी भीवाराम बनाम ओमप्रकाश, नजरी नक्शा, माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क, ख) खेतडी की फोटो पेश किये।
तहसील़दार बुहाना की रिपोर्ट के साथ सलंग्न सुसंगत दस्तावेज मौका निरीक्षण रिपोर्ट, नजरी नक्शा, नक्शा मौका, जमाबंदी पेश किए गए।

(6). बहस सुनी गई।पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया।न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है।**(1).** वाकेग्राम सोहली स्थित खसरा नम्बर 512 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 513 रकबा 2.80 है. का आवेदकगण खातेदार काश्तकार है। अपनी भूमि पर कास्त करते है। सिंचाई हेतु कुआं बनाकर विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा अपने मकानात बनाकर रहता है।**(2).**ढाणी भालोठ की सरहद पर खसरा नम्बर 67 रकबा 1.92 है., खसरा नम्बर 123 रकबा 2.79 है., खसरा नम्बर 168 रकबा 0.65 है., खसरा नम्बर 174 रकबा 1.79 है., खसरा नम्बर 306 रकबा 0.58 है., खसरा नम्बर 307/2 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 1. 16 है., खसरा नम्बर 316 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 317 रकबा 3.23 है., खसरा नम्बर 476 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 530 रकबा 0.98 है. स्थित है जो कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 7 दर्ज रिकार्ड है।**(3).**आवेदकगण राजस्वग्राम सोहलीके मुल निवासी है। अब गॉव व खेतों में आबाद हो गए। प्रार्थना पत्र मेंवर्णित भूमि खसरा नम्बर 67 आवदकगण की भूमि खसरा नम्बर 512, 513 के दक्षिण में पड़ती है। प्रार्थीगण अपने खेत में आबाद है।आवेदकगण मुख्य सड़क बुहाना– महेन्द्रगढ (वाया भालोठ–दुलोठ) पर जाने के लिए प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता ही न्युनतम दुरी का है।**(4).**प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जवाब सरकार, पटवारी मौका रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट तहसीलदार,नक्शा किस्तवार के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक, व्यवहारिक है, आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 512, 513 के दक्षिण में अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 67जो मुख्य सड़क बुहाना– महेन्द्रगढ (वाया भालोठ–दुलोठ) से सटकर है।**(5).**अनावेदकगण का तर्क रहा कि – वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ। प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे वस्तुतः आवेदक के अभिवचन, शपथ पत्र, पटवारी व तहसीलदार रिपोर्ट साबित होता है कि आवेदक के अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।न ही आवेदक के खेत से लगते हुए कोई कटानी/ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता है। आवेदक व अनावेदकगण के खेत व मकान सीमाजोड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

है।वर्तमान अनावेदकगण ने बुवाई कर दी है। जिसके कारण आवेदक के कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। न हीं कोई वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता है। आवेदक को रास्ता नहीं होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अनावेदकगण के तर्क निराधार है। **(6).** अनावेदकगण के यह भी तर्क रहे कि –प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। अनावेदक के लिखित अभिवचन है कि प्रार्थना पत्र वर्णित रास्ता स्थाई नहीं है। इस कारण रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। वस्तुतःआवेदक ने प्रार्थना पत्र वर्णित रास्ता 12 फिट चौड़ा करने, रिकॉर्ड में कायम/दर्ज/तरमीम किए जाने का अनुतोष चाहा है। जो धारा 251(क) के तहत ही सम्भव है। आवेदक की प्लीडिंग धारा 251(क) की है। अनावेदक के तर्क निराधार है। आवेदक ने भूमि का खातेदार होना, आवेदक के लिए रिकॉर्डेड व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता नहीं होने, आवेदक के मौजुदा भी चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य आवागमन का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना साबित किया है।जो 251(क) के तहत पोषणीय है। आवेदक ने रास्ते में व्यवहारिक रूप से डाईवर्जन भी चाहा है। आवेदक ने खसरा नम्बर 67 में भी रास्ता चाहा है। अनावेदक के तर्क निराधार है।अनावेदकगण के जवाब, तहसीलदार बुहाना, पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रास्ता खसरा नम्बर 67 मे से सबसे कम दूरी है।जिसके आधार पर भी रास्ता रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता सरकारी दर्ज करने योग्य है। प्रार्थी न्युनतम चौड़ाई (12 फिट) का रास्ता चाहा रहा है। **(7).**प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को महत्वपुर्ण व सुसंगत दस्तावेजों से बखुबी साबित किया है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश खेतडी के मुकदमा नम्बर 17/2008 बउनवानी भीवाराम बनाम ओमप्रकाश, नजरी नक्शा, माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क, ख) खेतडी की नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया। न्यायालय के विनम्र मत में प्रस्तुत नजीरे तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding)के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता(Absence of alternative means of access)को भी साबित किया है। अतः न्यायालय आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है। **(8).** क्षति पुर्ति के बिन्दुओं पर सुना गया। पक्षकारान में सहमति नहीं बनी। अतः नियमानुसार निर्धारित दर के निर्धारित गुणा के अनुसार प्रतिकार का भुगतान किया जाना उचित है। क्षतिपूर्ती ग्राम की अधिकतम डी.एल.सी 837476/– प्रति हैक्टेयर के अनुसार क्षतिपूर्ती तय किए जाने योग्य है।**(8).**रास्ते का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अमल की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात हैक्टेयरके दो डेसिमल तकही रखा जा रहा है। रास्ते की चौड़ाई रास्ते में दिए गए रकबे में लम्बाई के आनुपातिक तय की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

–::आदेश::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:11 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतःप्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके [illegible]हली स्थित आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर512, 513 पर आने–जाने के लिए [illegible]लोठ स्थित खसरा नम्बर 67मेंपूर्वी सीमा के सहारे–सहारे [illegible] 4 मी. चौडाअर्थात 548 व.मी अर्थात हैक्टेयर के दो डेसिमल 0.055 है. में, प्रार्थीगणका रास्ते के रूप में दिए जाने के

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे सरकारी खाते में दर्ज की जावे। इस रास्ते से अन्यजन के रास्ते के उपयोग–उपभोग के अधिकार भी बने रहेगे।नजरी नक्शा प्रदर्श 'अ' निर्णय का अभिन्न रहेगा। मुआवजा राशि 46061/– रूपये, का 2 गुणा 92122/– रूपयेनिर्धारित किया जाता है। मुआवजाराशि राजकोष में जमा होने पर नियमानुसार संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे।अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप मे, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशि जमा होने पर तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह, पत्थर गढी कायम कर मौके पर रास्ता कायम किया जावे। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक17-11-2021को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:11 IST
Reason: SelfAttested